झारखण्ड विधान सभा

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–
2. धारा–2 का संशोधन केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14वाँ–
3. धारा–25 का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ –
4. धारा–25'ट' का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ –
5. धारा–25–ढ़ का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ–
6. धारा–25'ण' का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ–

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को लागू करने के संबंध में संशोधन अधिनियम

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :–
   (i) यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **धारा–2 का संशोधन केन्द्रीय अधिनियम, 1947 का 14वाँ** –
   धारा–2 की उपधारा (ध) का प्रथम अनुच्छेद तथा उपधारा (ध) का खण्ड (iv) निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :–
   (i) धारा–2 की उपधारा–ध के प्रथम अनुच्छेद में अभिव्यक्ति ''लिपिकिय विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी'' तथा ''पार्यवेक्षणिक कार्य'' को अन्तर्स्थापित किया जायेगा।
   (ii) धारा–2 की उपधारा–ध के खण्ड (iv) में अभिव्यक्ति प्रतिमास ''दस हजार रूपये से अधिक मजदूरी'' को मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा–1 की उप धारा–6 में विहित मजदूरी से अधिक नहीं, को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. **धारा–25 का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ** –
   धारा–25 के उपधारा (च) के खण्ड (क) तथा (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :–
   (i) **धारा–25 के उपधारा (च) के खण्ड (क) के परन्तुक में निम्न अनुच्छेद अंतर्स्थापित किया जायेगा** :–

   ''बशर्ते कि वैसे औद्योगिक स्थापन जिसमें विगत 12 माहों में औसतन पचास से अधिक कामगार नियोजित हुए हों, कामगार को पैंतालीस दिनों की लिखित सूचना दी गयी हो जिसमें छँटनी के कारण उपदर्शित हों तथा सूचना की अवधि व्यतीत हो गयी हो।''

   (ii) **धारा–25 की उपधारा (च) के खण्ड (ख) के परन्तुक में निम्न अनुच्छेद अंतर्स्थापित किया जायेगा** :–

   ''बशर्ते कि वैसे औद्योगिक स्थापन जिसमें विगत बारह मासों में औसतन पचास से अधिक तथा तीन सौ से कम कामगार नियोजित हुए हों कर्मकार को छँटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा में हर संपूरित वर्ष या छः मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पैंतालिस दिन के औसत वेतन के बराबर हो।''

4. **<u>धारा–25'ट' का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ</u>** :–
धारा–25'ट' के वर्तमान उपबंधों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
<u>25–ट अध्याय 5'ख' का लागू होना</u> –
   1. इस अध्याय के उपबंध ऐसे औद्योगिक स्थापन को (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में प्रति कार्यदिवस को औसतन कम से कम तीन सौ कर्मकार नियोजित थे।
   2. उपधारा (1) में कोई भी प्रावधान होने के उपरान्त भी औद्योगिक शांति या कर्मकारों के बलीकरण को रोकने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अध्याय के उपबंधों को औद्योगिक स्थापना (जो मौसमी प्रकार का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है जिसमें काम केवल अन्तरायिक रूप से होता है) जिसमें विगत बारह मास में औसतन तीन सौ सेकम परन्तु एक सौ से कम नहीं कर्मकार नियोजित होते हैं, जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, लागू कर सकेगी।
   3. यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

5. **<u>धारा–25–ढ़ का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ</u>** –
धारा–25 'ढ़' की उपधारा (1) का खण्ड (क) तथा उपधारा (9) को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा :–

   (i) धारा (1) के खण्ड (क) में वर्त्तमान अभिव्यक्ति ''या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो'' को विलोपित किया जायेगा।
   (ii) उपधारा (9) में अभिव्यक्ति ''पन्द्रह दिन के औसत वेतन'' को ''तीन माह का औसत वेतन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **धारा–25'ण' का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम 1947 का 14वाँ** –
मुख्य अधिनियम की धारा–25'ण' की उपधारा (8) में अभिव्यक्ति ''पन्द्रह दिन के औसत वेतन'' को ''तीन माह के औसत वेतन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

———

यह विधेयक औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 17 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 17 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 5––50–4–4–2016 ।